न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 27/2024 GCMS No.–2024/23

1. रमेश चौधरी पुत्र सूरजमल चौधरी
2. श्रीमती भावना चौधरी पत्नी श्री राजेन्द्र
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजेन्द्र पुत्र गंगासाय
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
स्थाई पता ग्राम सेपटपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. गेंदी देवी पत्नी गोपाल जाट निवासी 22/73, देवदास की गली, किशनपोल जयपुर।
2. सरवन लाल पुत्र दौलत राम जाति जाट, निवासी खुसर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत जयपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध विक्रय विलेख अभिलेख पट्टा ग्राम रामनगरिया ग्राम पंचायत जयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 25.10.1980 अंतर्गत धारा 97 पंचायती एक्ट।

उपस्थितः–

1. श्री लालचन्द जाट अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 नगर निगम की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.09.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 25.10.1980 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 श्रीमती गेंदी देवी पत्नी गोपाल जाट निवासी 22/73, देवदास की गली, किशनपोल जयपुर के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.04.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। उपायुक्त जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त पत्र अनुसार नगर निगम कार्यालय में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि निगरानीकार संख्या 2 ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर आबादी भूमि खसरा नंबर 203 सम्पूर्ण व

चारागाह भूमि 203/387 पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निवास करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर लम्बे समय से काबिज रहने के कारण स्व0 श्री मुन्ना पुत्र सूरजमल के नाम तत्कालीन ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 17.12.1981 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा जारी विक्रय विलेख में पूर्व में तत्समय के खातेदार महादेव, जगन्नाथ की काश्त की भूमि पश्चिम में चारागाह भूमि, जो कि वर्तमान में खसरा नंबर 203/387 है, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में महादेव, जगन्नाथ की काश्त की भूमि स्थित थी। उक्त विक्रय पत्र बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय राशि जरिये रसीद दिनांक 17.12.1981 राजकोष में जमा कर ली गई। उक्त विक्रय विलेख जारी होने के पहले से व उक्त विक्रय विलेख जारी होने के पश्चात से भी उक्त भूमि पर सम्पूर्ण रूप से स्व. मुन्ना पुत्र सूरजमल ही काबिज रहा तथा निगरानीकार स्व0 मुन्ना का सगा भाई है तथा मुन्ना के पत्नी व औलाद नहीं होने के कारण निगरानीकार स्व0 मुन्ना को जारी विक्रय विलेख वाली भूमि पर काबिज होकर निवास करता आ रहा है। स्व0 मुन्ना का देहान्त दिनांक 14.11.2018 को हो जाने के उपरान्त से निगरानीकार ही उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज है। विपक्षी द्वारा बदनियतीपूर्वक गेन्दी देवी पत्नी गोपाल के नाम से उक्त भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 25.10.1980 का फर्जी रूप से रोशनलाल करोल सरपंच के हस्ताक्षर से तैयार कर लिया जबकि उक्त रोशनलाल करोल सरपंच माह फरवरी 1982 में बना था तथा वर्ष 1980 में रोशनलाल करोल सरपंच ही नहीं था। विपक्षी द्वारा चारागाह भूमि का भी एक विक्रय विलेख ग्राम पंचायत जयपुरा से गोपाल पुत्र महादेव के नाम से दिनांक 25.03.1982 को सरपंच रोशनलाल करोल के हस्ताक्षर से जारी करवाया। दिनांक 25.10.1980 के उक्त तथाकथित पट्टे में पश्चिम में गोपाल की आबादी भूमि दर्शायी गयी जो कि सर्वथा गलत है। यदि उक्त भूमि विक्रय विलेख दिनांक 25.10.1980 खसरा नंबर 203, ग्राम रामनगरिया जिसका कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर अर्थात लगभग 700 वर्गमीटर रहा है, इसमें से तीन तरफ सडक होने के कारण मौके पर क्षेत्रफल कम हो गया, का 711 वर्गगज का पट्टा जारी होने के उपरान्त खसरा नंबर 203 में और अन्य भूमि शेष नहीं रहती है तथा खसरा नंबर 203 से लगते हुए खसरा नंबर 203/387 की भूमि आ जाती, ऐसी दशा में निगरानीधीन पट्टा खसरा नंबर 203 का हो ही नहीं सकता एवं खसरा नंबर 203 के पश्चिम में गोपाल की आबादी भूमि कभी रही ही नहीं है। स्व0 मुन्ना द्वारा अपने जीवनकाल में प्रथम रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पूर्व के समक्ष दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत की एवं पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर में एफ.आई.आर संख्या 120/2018 दर्ज की गयी। विपक्षी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। इसके उपरान्त विपक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 463/2018 दिनांक 22.05.2018 को पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर में मुन्ना के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी उसमें विपक्षी का स्वयं का भूखण्ड खसरा नंबर 203, 204 में होना अंकित करा गया। सरपंच रोशनलाल मीणा जिसके खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज है व कई बार गिरफ्तार हुआ है, से मिलकर दो फर्जी

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पट्टे तैयार करवाये। उक्त दोनों फर्जी पट्टे खसरा नंबर 203 व 204 की सीमाएं आपस में समानान्तर रूप से मिलती ही नहीं है केवल मात्र एक कौना नक्शा ट्रेस में अवलोकन पर आपस में टच होता है तथा मौके पर विगत 15–20 वर्षो से सडक भी स्थित है। विपक्षी द्वारा नगर निगम के समक्ष फर्जी तथ्य रखकर नगर निगम से पुर्नगठन आदेश प्राप्त किया, परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त दोनों आदेशो में अंकित किया गया कि हस्तान्तरण पत्र दिनांक 11.01.2013 से कोई कानूनी विवाद होने पर स्वामित्व संबंधी हक, अधिकार उत्पन्न नहीं होंगें व विवाद होने की दशा में या मौके व परिस्थितियों के विपरीत पाये जाने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। दिनांक 17.12.1981 को ग्राम पंचायत के सरपंच रामगोपाल पारीक थे और उनके द्वारा निगरानीकार के भाई के पक्ष में पट्टा जारी किया जा चुका है। गैर निगरानीकार संख्या 1 का ग्राम रामनगरिया से कोई संबंध नहीं रहा तथा ना कभी भी गेंदी देवी ने ग्राम रामनगरिया में निवास किया है, जिससे स्पष्ट है कि गेंदी देवी ने फर्जी तरीके से बिना किसी आधार व अधिकार के एवं बिना किसी कब्जे के बैक डेट में निगरानीधीन पट्टा प्राप्त किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत जयपुरा के सरपंच रोशनलाल मीणा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है एवं ऐसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किये गये पट्टे को माननीय न्यायालय द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है। स्व0 मुन्नालाल द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, उक्त वाद के जवाब दावे में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.10.1980 को पट्टा जारी होने का कथन किया है, तत्पश्चात निगरानीकार द्वारा उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु कई बार प्रयास किया किन्तु निगरानीकार को पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुयी। जिसके पश्चात गेंदी देवी द्वारा निगरानीधीन पट्टे के आधार पर निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2004 की प्रमाणित प्रति उपपंजीयक प्रथम सांगानेर से दिनांक 20.02.2024 को प्राप्त कर अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा के आदेश दिनांक 25.12.1980 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि निगरानीकार एवं स्व0 मुन्नालाल पुरानी बस्ती जयपुर के मूल निवासी है एवं इनका ग्राम रामनगरिया में ननिहाल है। निगरानीकार संख्या 3 ग्राम सेपटपुरा, तहसील शाहपुरा के निवासी है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर में आबादी क्षेत्र के दो पट्टाशुदा भूखण्ड गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं गोपाल पुत्र महादेव से क्रय किये, उक्त दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 1422.22 वर्गगज है जिसे गैर निगरानीकार संख्या 2 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2006 को क्रय किया है। खसरा नंबर 202, 203, 204, 205, का मालिकाना हक गोपाल के पिता महादेव के फौत होने पर जरिये विरासत का नामान्तकरण दिनांक 29.07.1972 को गोपाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दर्ज किया गया था। उसी समय से गोपाल पुत्र महादेव का उक्त खसरा नंबरान पर कब्जा चला आ रहा है एवं कब्जे के आधार पर ही तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा रोशन लाल मीणा द्वारा नियमानुसार 25.03.1982 को गेंदी के हक में एवं 25.10.1982 को गोपाल के हक में पट्टे जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने उक्त दोनो भूखण्डो को कय करने के बाद में भूखण्डों के चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया तथा नगर निगम में समस्त नगरीय विकास शुल्क वर्ष 1981 से 2018 तक की बकाया राशि जमा करवाकर नगर निगम जयपुर से पुर्नगठन की स्वीकृति बाबत 1,81,507 रूपये जमा करवा दिये एवं दिनांक 01.09.2017 को कार्यालय उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर से पुनर्गठन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। नगर निगम ने नियमानुसार नक्शा अनुमोदित किया एवं विक्रय पत्र के आधार पर बिजली कनेक्शन भी गोपाल से गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम से वर्ष 2007 में ट्रांसफर हो गया था। गैर निगरानीकार संख्या 1 के दोनो भूखण्ड खसरा नंबर 203, 202 की आबादी भूमि में स्थित है जो अर्सेदराज से गोपाल व उनकी पत्नी के हक व स्वामित्व की थी। गैर निगरानीकार संख्या 2 के कयशुदा आबादी भूखण्डो पर स्व0 मुन्नालाल पुख्ता निर्माण कर रहे थे जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 2 एवं मुन्नालाल के साथ एक 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 25.02.2007 को समझौता हुआ जिस बाबत स्व0 मुन्नालाल को अक्षरे पांच लाख रूपये अदा किये गये। स्व0 मुन्नालाल ने पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा रामगोपाल पारीक से साज कर फर्जी पट्टा संख्या 19 दिनांक 17.12.1981 को जारी किया हुआ बनवा लिया एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्ध अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 08.02.2018 को दर्ज करवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने भी एक अभियोग संख्या 463/2018 दर्ज करवायी गयी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुन्ना लाल द्वारा पेश किये गये पट्टे को फर्जकारी कर फर्जी पट्टा तैयार किया जाना पाये जाने से प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में किता की गयी। प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 463/2018 में रामगोपाल को स्व. मुन्नालाल को फर्जी पट्टा जारी करने के कारण जेल भेजा गया। प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर पूर्व द्वारा विस्तृत जांच कर पुलिस आयुक्त जयपुर पूर्व को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त वर्णित रिपोर्ट में भी प्रतिवादी का कब्जा स्पष्ट रूप से अंकित है। पुलिस जांच में भी यह माना गया है कि सरपंच रोशनलाल मीणा द्वारा पट्टा दिनांक 25.10.1982 को जारी किया गया था किन्तु सहबन से पट्टे पर वर्ष 1982 के स्थान पर वर्ष 1980 अंकित हो गया। प्रश्नगत आबादी भूमि गैर निगरानीकार संख्या 2 की कयशुदा व कब्जेशुदा भूमि है एवं निगरानीकार झूठे तथ्यों के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 2 की भूमि को हडपने की नियत से निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता नगर निगम द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि जगतपुरा जोन से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टे की पत्रावली एवं निगरानीकार के नाम से जारी पट्टे की पत्रावली अनुपलब्ध

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

है। खसरा नंबर 203 किस्म गै.मु.आबादी की खातेदारी वर्तमान में नगर निगम गेटर के नाम से दर्ज है एवं खसरा नंबर 203/387 किस्म चारागाह की खातेदारी जेडीए जयपुर के नाम से दर्ज है। निगरानीकार द्वारा समयबाधित कर निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो कि समयावधि में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपायुक्त जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त पत्र अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा पत्रावली नगर निगम कार्यालय में अनुपलब्ध है इसलिए विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा रहा है, किन्तु निगरानीकार द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा कथन किया गया है कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत सरपंच रोशनलाल मीणा द्वारा दिनांक 25.10.1980 द्वारा बैक डेट में जारी किया गया है एवं रोशनलाल मीणा वर्ष 1982 में सरपंच बना था। इस संबंध पत्रावली पर उपलब्ध गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा दर्ज करवायी गयी एफ. आई.आर. संख्या 463/2018 में सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) द्वारा पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) को प्रेषित जांच रिपोर्ट कमांक 115 दिनांक 10.01.2020 का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टे पर दिनांक 25.10.1980 अंकित है जबकि रोशनलाल वर्ष दिसम्बर 1981 में ग्राम पंचायत जयपुरा के सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान में सरपंच रोशनलाल मीणा के बयान लिये गये एवं सरपंच द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं गोपाल पुत्र महादेव को स्वयं के कार्यकाल में पट्टे जारी किये जाने का कथन किया है एवं गेन्दी देवी के पट्टे पर दिनांक 25.10.1980 भूलवश लिखे जाने का कथन किया है। पुलिस जांच में माना गया है कि रोशनलाल सरपंच का कार्यकाल दिसम्बर 1981 से 1991 तक रहा है यदि रोशनलाल गेंदी देवी के नाम से पट्टा बाद में भी बनाता तो अपने कार्यकाल का ही बनात ना ही रामगोपाल पारीक के कार्यकाल का बनाता इससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे पर जो दिनांक अंकित है वह सहबन से अंकित हुई है एवं गेंदी देवी द्वारा दिनांक 05.05.1979 को पट्टे के लिये आवेदन किया गया किन्तु उक्त पट्टा सरपंच रामगोपाल पारीक के समय जारी नहीं हो सका। पुलिस अनुसंधान में निगरानीकार संख्या 1 के भाई मुन्नालाल को जारी दिनांक 17.12.1981 को जारी पट्टा फर्जी होना पाया गया एवं पूर्व सरपंच रामगोपाल पारीक को जुर्म साबित होने पर गिरफ्तार करने के आदेश सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) द्वारा प्रदान किये गये है। पत्रावली पर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उपलब्ध दस्तोवजात के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गेंदी देवी पत्नी गोपाल जाट एवं गोपाल पुत्र महादेव जाट को जारी पट्टो की भूमि क्रय किये जाने पश्चात नगर निगम में पुर्नगठन हेतु आवेदन किया एवं नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौका निरीक्षण किया गया स्वामित्व रिपोर्ट प्राप्त कर निर्धारित शुल्क 1,81,507 रूपये जमा कर आदेश कमांक 1173 दिनांक 01.09.2017 से पुर्नगठन आदेश जारी किय गये तथा भूखण्डो का हस्तान्तरण गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में किया गया है। उक्त पुर्नगठन प्रकिया में नगर निगम द्वारा दिनांक 28.10.2016 को सार्वजनिक सूचना भी दैनिक समाचार पत्र राष्टदूत में दिनांक 28.10.2016 को एवं डेली न्यूज में दिनांक 17.09.2016 को प्रकाशित करवायी गयी है इस संबंध में निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया कि नगर निगम की पुर्नगठन कार्यवाही में निगरानीकार अथवा स्व. मुन्ना लाल द्वारा नगर निगम के समक्ष किसी प्रकार का कोई उज्र, आपत्ति पेश की गयी हो। अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दिनांक 25.02.2007 को 100 रूपये के स्टाम्प पर मुन्ना पुत्र सुरजमल एवं निगरानीकार रमेश पुत्र सुरजमल चौधरी तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के मध्य समझौता हुआ एवं उक्त समझौते में निगरानीकार एवं स्व0 मुन्ना द्वारा समझौते बाबत राशि प्राप्त की समझौता पत्र में अंकित तथ्यो अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 के भूखण्ड से निगरानीकार संख्या 1 व स्व. मुन्ना का कोई संबंध नहीं रहेगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकार द्वारा अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य/उज्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित उपायुक्त जोन जगतपुरा नगर निगम ग्रेटर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर